न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—94/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

1. रमनदीप सिह पुत्र हरमीत सिह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1 हरमीत सिह पुत्र बलदेव सिह जाति जटसिख निवासी शाहीपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2 ओबीसी बैक शाखा खैरूवाला तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3 तहसीलदार राजसव संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री रामनिवास बेदी — वकील वादी
2— श्री भीमसिह छीपा — वकील प्रति सं. 1
3— श्री रविन्द्र भोबिया — वकील प्रति.संख्या 2

निर्णय दिनांक :— 18.09.2019

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक मे दर्ज है। चक 20 एएमपी के खाता संख्या 79/49,51 खाता हरमीत सिह वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2070—73 के कुल खाता 2.784 है. मे से 1/2 हिस्सा यानि 1.382 है. व इसी चक के खाता संख्या 88/65 में 0.380 है. तथा चक नं. 19 एमकेएस के खाता संख्या 13/73 में 0.240 है. तथा इसी चक के खाता संख्या 112/9 के कुल सांझाा खाता 0.506 है. मे से 0.303 है. नहरी कृषि भूमि वादी के पिता हरमीत के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तथा कृषि भूमि की प्रमाणित जमाबन्दीया संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित पैतृक कृषि भूमि को लेकर अर्सा दराज पूर्व वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब्राहमी घरा घरू बंटवारनामा हो चुका है। घराघरू बंटवार नामा में चक 20 एएमपी के खाता संख्या 79/49,51 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.382 है हिस्सा मे से 1.012 है. हिस्सा कृषि भूमि वादी हिस्सा में आई हुई है। ब्राहमी घराघरू बंटवारा अनुसार वादी की बिना किसी बाधा के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त चली आ रही है। आज वादभूमि ब्राहमी घराघरू बंटवारानामा अनुसार वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण बिना बजह सिंवबंट रकम राज आबयाना इत्यादि

को लेकर विवाद रहता है। वादी ने ब्रहमी घराघरू बंटवारनामा में मिली वादभूमि पर भारी रूपया खर्च कर सुधार कर काश्तयोग बनाया है। आज मौका पर भी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है। इसलिए वादी ब्राहमी घराघरू बुटवारनामा के अनुसार वाद भूमि का विरास्तन जन्मजात खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एव ंदावेदार है। गतमाह वादी ने प्रतिवादी ंसख्या 1 से निवेदन किया कि वो मुझ वादी को ब्राहमी घराघरू बंटवारनामा अनुसार वाद भूमि का खातेदार काश्तकार मानकर वाद भूमि का अंकन मुझ वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दराम करवा देवे तो वो पहले तो आजकल–आजकल करता रहा परन्तु गतसप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट् इन्कार हो गया। बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाल दावा मय आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित के साथ पेश किया जाकर वाद पत्र को स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बैक एव 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी की ओर से साक्ष्य वादी में वादी रमनदीप की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ ग्राम पंचायत शाहपीनी से जारी वारिसान तस्दीक मूल, शपथ पत्र लखविन्द्रकौर पत्नी हरमीत सिह आईडी लखविन्द्रकौर पैतृक सम्पति में चक नं. 20 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 की प्रमाणित प्रति पेश की गई जो शामिल पत्रावली है। एव साथ ही निम्नदस्तावेज प्रदर्श करवाये गयेः–

1. चक 20 एएमपी खाता संख्या 79/49,51 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्श–1
2. चक 20 एएमपी खाता संख्या 88/65 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्श–2
3. चक 19 एएमपी खाता संख्या 111/13,73 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्श–3
4. चक 19 एएमपी खाता संख्या 112/9 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्श–4
5. चक 20 एएमपी खाता संख्या 49/48 जमाबन्दी सम्वत 2066–69 प्रदर्श–5

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि हरमीतसिह पुत्र बलदेव सिह के नाम से चक 20 एएमपी खाता संख्या 79/49,51 में 1.382 है. दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक नं. 20 एएमपी की

जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 की प्रमाणित चित्रप्रति पेश की है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी ने वारिसान तस्दीक में सरपंच ग्राम पंचायत शाहपीनी द्वारा जारी वारीसान प्रमाण पत्र अनुसार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 नाम से चक 20 एएमपी खाता संख्या 79/49,51 में 1.382 है. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 20 एएमपी खाता संख्या 49/48 जमाबन्दी सम्वत 2066–69 प्रदर्श–5 पेश की है जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के इकबाल दावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीा मुताबिक सहमति के इकबालदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर चक 20 एएमपी के खाता संख्या 79/49,51 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.382 है. हिस्सा मे से 1.012 है. हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 94 / 2019

1 रमनदीप सिह पुत्र हरमीत सिह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. हरमीत सिह पुत्र बलदेव सिह जाति जटसिख निवासी शाहीपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. ओबीसी बैक शाखा खैरूवाला तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. तहसीलदार राजसव संगरिया।

– प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री रामनिवास बेदी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री भीमसिह छीपा वकील प्रतिवादी संख्या 1 व रविन्द्र भोबिया प्रतिवादी संख्या 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक 20 एएमपी के खाता संख्या 79 / 49,51 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.382 है. हिस्सा मे से 1.012 है. हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.09.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.22 13:56:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: